न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प रीवा (म0प्र0)

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

556
15.9.14

R-3385-III/14

(01) श्यामलाल गडरिया तनय भिम्मा गडरिया निवासी ग्राम बहुती तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0 .

(02) श्रीलाल तनय भिम्मा निवासी बहुती तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0 .

(03) प्रेमलाल तनय भिम्मा गडरिया निवासी बहुती तहसील- हनुमना जिला रीवा म0प्र0

(04) उदयभान तनय पुसई गडरिया निवासी बहुती तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0

======= आवेदकगण

श्री एल.एन. शुक्ला एड. द्वारा आज दिनांक 15.9.14 प्रस्तुत किया गया। रीडर 15.9.14

बनाम

क्रमांक 3096 सर्किट कोर्ट रीवा
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा/आज दिनांक ________ को प्राप्त
22.9.14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

(01) रामसहाय गडरिया तनय रामउजागिर गडरिया साकिन बहुती तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0 .

(02) मोहनलाल तनय रामउजागिर सा0 बहुती तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0 .

(03) रामपाल गडरिया तनय रामउजागिर गडरिया सा0 बहुती तहसील हनुमना जिला- रीवा म0प्र0 .

(04) कजनारा उर्फ केवेन्दु पिता अर्जुन गडरिया निवासी बहुती तहसील हनुमना जिला- रीवा म0प्र0

(05) शंकर गडरिया तनय सरजू गडरिया निवासी बहुती तहसील हनुमना जिला- रीवा म0प्र0

(6) बिहारी तनय सरजू गडरिया निवासी बहुती तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0

====== अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा म0प्र0 ,
प्र0क्र0 1017/अपील/07-08 दि0 4/8/14

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

2 ...पर

प्रेमलाल उदयभान

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3385/III/14 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.8.15	प्रकरण में आवेदक की ओर से अभि० श्री एस०एन० शुक्ला उपस्थित। आवेदक अभिभाषक को प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। प्रकरण में मुख्य वाद बिन्दु भूमि के बटवारे का है। आवेदक अभि० द्वारा अपने तर्कों में बताया गया कि सहमति से बनाई गई बटवारा फर्द (कुर्रा) के आधार पर नायब तहसीलदार वृत्त पहाड़ी द्वारा प्र०क्र० 4/A-27/06-07 में पारित आदेश दिनांक 27-9-07 से उभयपक्षों के मध्य बटवारा आदेश पारित किया गया। इस आदेश के विरुद्ध अना० 1 एवं 2 द्वारा अनु० अधि० के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जहां आवेदकगणों को बिना सुनवाई का अवसर दिए अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया तह० न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड किया गया। अनु० अधिकारी के आदेश दिनांक 28-5-08 के विरुद्ध अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग के यहां प्रस्तुत की गई जिसमें पारित आदेश दिनांक 4-8-14 से तहसीलदार एवं अनु० अधिकारी के आदेश दिनांक 27-9-07 एवं 28-5-08 निरस्त कर प्रकरण का निराकरण नये सिरे से बटवारा फर्द कुर्रा तैयार प्रकरण का निराकरण करने हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया। आवेदक अभिभाषक द्वारा बताया गया बटवारे के समय तहसील न्यायालय में अनावेदकों द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई थी। यह भी कहा कि कोई भी न्यायालय दूसरे पक्ष को बिना सुने आदेश पारित नहीं कर सकता है जबकि अपर आयुक्त द्वारा एक पक्षीय आदेश बिना सुने पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 4.8.14 को निरस्त करने एवं निगरानी	

[कृ. प. उ.

R. 3385/अपील/14 रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश श्यामलाल / रामसहाय	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	सुनवाई हेतु प्रकरण लेने का निवेदन किया गया। आवेदक अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत तर्कों के क्रम में निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं तथा अपर आयुक्त रीवा संभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 4-8-14 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। आदेश प्रति के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि अपर आयुक्त न्यायालय में अपील प्रस्तुत थी जो अधीनस्थ न्यायालय तहसील को प्रत्यावर्तित की गई है जबकि भू-राजस्व संहिता में वर्ष 2011 में हुए संशोधन के अनुसार अपील में अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्यावर्तित नहीं की जा सकती जबकि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है जो संहिता का उल्लंघन है। यहां यह तथ्य विशेष रूप से प्रकट हो रहा है कि या तो अपर आयुक्त रीवा को भू-राजस्व संहिता की धारा 49 में हुए संशोधन के कानूनी पहलुओं का ज्ञान नहीं है या फिर उनके द्वारा जानबूझ कर अनदेखी की गई है जो भी हो दोनों ही स्थितियों में यह आपत्तिजनक है। अतः भू-राजस्व संहिता की धारा 49 में हुए संशोधन के अनुसार अपील प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त रीवा का प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 4-8-14 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अपर आयुक्त रीवा संभाग को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आप स्वयं उभयपक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर मौके की जांच कर बटवारा मुताबिक मौके के अनुसार तैयार करा कर प्रकरण का नीतिगत एवं कानून सम्मत निराकरण कर आदेश पारित करें। उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी प्रकरण समाप्त किया जाता है। सदस्य	